# कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष– 05944-242400

दिनांक– 05/11/24

पत्रांकः– 2148 /सा0नि0अनु0/ई–नि0सू0/2024–25

## ई–निविदा सूचना

नगर निगम रूद्रपुर में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों से नगर निगम बोर्ड द्वारा स्वीकृत 15 वॉं वित्त/राज्य वित्त की अनुदान धनराशि के अन्तर्गत 01 **निर्माण कार्य हेतु** निम्नांकित की–डेट्स के अनुसार ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैं। ई–निविदा से सम्बन्धित सभी सूचनायें उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर अवलोकित की जा सकती हैं तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है तथा अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है जिसकी की–डेट्स निम्नांनुसार है–

| S.No. | Schedule/Information | Date | Time |
|---|---|---|---|
| 1- | Date of online Publication | 06-11--2024 | 11:00 AM |
| 2- | Documents Download Start Date | 06-11--2024 | 11:00 AM |
| 3- | Bid Submission Start Date | 06-11-2024 | 11:00 AM |
| 4- | Bid Submission End Date | 20-11-2024 | 2:00 PM |
| 5- | Offline Submission of Hard/Original Copy of Documents: End Date | 20-11-2024 | 5:00 PM |
| 6- | Bid Opening Date | 21-11-2024 | 12:00 PM |

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

प्रतिलिपिः–_निम्नांनुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री कमल तिवारी, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को उपरोक्तानुसार इन्टरनेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, हिन्दुस्तान.......... को इस आशय से प्रेषित कि उक्त ई–निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 06/11/2024...... के अंक में न्यूनतम पठनीय रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौरभ कुमार)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

D:\Gajendra Singh\E-tender road repair 15 km\E tender suchana -09.docx

## "निर्माण काय का विवरण, ई–निविदा हेतु शर्तें व नियम"

1. निर्माण कार्य का विवरण, धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र मूल्य, कार्य निष्पादन हेतु समयावधि आदि निम्नवत् है–

| क्र. सं. | कार्यों का नाम | आंगणन धनराशि (लाख रु0 में) | धरोहर धनराशि रु0 | निविदा मूल्य+जी.एस.टी. | | | कार्य अवधि | ठेकेदार श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मूल्य | जी.एस.टी. | कुल | | |
| 1. | वार्ड नं0 25 प्रीतविहार में नरेन्द्र राठौर के घर से सोनू टैंट हाउस तक बिटुमिन रोड निर्माण एवं नाली मरम्मत का कार्य। | 39.20 | 78400.00 | 2500.00 | 450.00 | 2950.00 | 06 माह | सी एवं उच्चतर |

1. निर्धारित तिथि व समय तक प्राप्त ई–निविदाओं को **की–डेट्स के अनुसार** अधिप्राप्ति निविदा समिति या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोले जाने की तिथि व समय में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. प्राप्त ई–निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त एवं महापौर नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
3. निविदादाता को निर्धारित तिथि एवं समय तक तकनीकी बिड हेतु ऑफलाईन व ऑनलाइन निम्नांकित प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तकनीकी बिड (ऑनलाईन व ऑफलाईन) में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

**–: ऑफ लाईन एवं ऑनलाईन तकनीकी बिड हेतु आवश्यक प्रपत्रों की सूची :–**

**1–निविदा मूल्य का मांग ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बनाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

**2–निर्धारित धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर./एन.एस.सी. मूलरूप में जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो।**

**3–मु0 100.00 रु0 का स्व हस्ताक्षरित गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (रसीदी टिकट सहित) मूल रूप में।**

**4–निविदादाता को किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/विभागों/निगमों में वर्ष 2024–25 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र।**

**5– जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र।**

उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों को एक लिफाफे में सीलबन्द कर सीलबन्द लिफाफा निविदा बाक्स में जमा करना आवश्यक होगा। स्टेपल पिन से बन्द लिफाफा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. किसी भी प्रकार की सशर्त/अपूर्ण निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. प्राप्त निविदाओं में से किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
6. निविदा लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम एवं ठेकेदार/फर्म की श्रेणी अंकित करना अनिवार्य होगा एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. निविदा दर प्राक्कलन की धनराशि से कम दरों पर प्राप्त होने की दशा में G.P.W-9 के clause सी 3 के अनुसार निर्धारित Additional Performance Security ठेकेदार द्वारा द्वितीय पक्ष को जमा कराई जायेगी जो कि कार्य समाप्ति पर अन्तिम बिल भुगतान के उपरान्त कार्य संतोषजनक होने पर अवमुक्त की जायेगी।

AE

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर

8. निविदा समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल निविदादाता को एक सप्ताह के अन्दर कार्य के सापेक्ष अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित निविदादाता की 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय न्यूनतम निविदादाता (एल–2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।

9. सफल निविदादाता संविदा करते समय संविदा मूल्य का 05 प्रतिशत कार्यपूर्ति अथवा परफॉर्मेन्सगारण्टी और 05 प्रतिशत संविदा मूल्य का प्रतिभूति निक्षेप करेगा। निविदादाता की इच्छा पर पूर्व में जमा की गई (ई.एम.डी.) धरोहर धनराशि को कार्यपूर्ति गारण्टी प्रतिभूति निक्षेप में परिवर्तित कर सकता है बशर्ते की धरोहर धनराशि की वैधता अवधि होनी चाहिए।

10. निविदा स्वीकृति उपरान्त कार्यादेश बजट की उपलब्धता होने पर ही जारी किये जायेंगे तत्पश्चात सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर नगर निगम के अवर अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रंगीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर से निरीक्षण कराते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

11. ठेकेदार को कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्पल जॉच कराना आवश्यक होगा तथा सैम्पल की जॉच रिर्पोट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

12. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रूद्रपुर मे कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता के दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।

13. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रूकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी सूचना ठेकेदार द्वारा नगर निगम में देना आवश्यक होगा तथा कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।

14. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईंट, लोहे का जाल इत्यादि पुरानी सामग्री को नगर निगम में जमा कराना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी एवं अन्तिम भुगतान बिल से उसकी कटौती की जायेगी।

15. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड्ढों आदि को भरेगा।

16. सम्पादित कार्य के **बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें जी.एस.टी सहित मानी जायेगी उक्तानुसार सम्पादित कार्य के भुगतान के समय जी.एस.टी. का भुगतान विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।**

17. निर्माण कार्य मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी रॉयल्टी जमा न करने की स्थिति में नियमानुसार ठेकेदार के भुगतान बिल से कटौती कर ली जायेगी।

18. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरूद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए रू0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिसप्ताह तथा अन्य समस्त निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनल्टी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।

19. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप मे जिम्मेदार नहीं होगा।

20. अपरिहार्य स्थितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति विशेष का उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार 02 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रूद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य में व्यवधान होने पर परिस्थितियों के दृष्टिगत स्वविवेक से 02 माह से अधिक का समय बढ़ाने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

AE ... कुमार ... अधिशासी अभियन्ता ... नगर आयुक्त ... नगर निगम, रूद्रपुर

21. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए धरोहर धनराशि व जमानत धनराशि को जब्त कर लें तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
22. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होंगी।
23. धनराशि के अभाव मे ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
24. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापस लौटा दी जायेगी।
25. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड–19 के तहत सोशल डिस्टैसिंग के साथ–साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
26. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा पारित निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य होगा।

**नोट–समस्त निविदादाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा स्थिति में उनके द्वारा दी गई निविदा निरस्त की जायेंगी।**

| | | | |
|---|---|---|---|
| हरीश सिंह<br>सहायक अभियन्ता<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | सौरभ कुमार<br>प्र0 अधिशासी अभियन्ता<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | नरेश चन्द्र दुर्गापाल<br>नगर आयुक्त<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। | उदयराज सिंह<br>जिलाधिकारी/प्रशासक<br>नगर निगम रूद्रपुर<br>ऊधमसिंह नगर। |